फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीः—गीताबाई विपक्षीः— रामलाल

किस्म मुकदमाः—वाद पत्रावली संख्याः—261/19 सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.12.19 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 के जवाब में नियत हैं। प्रकरण में लम्बे समय से जवाब प्राप्त नहीं हुआ हैं। आज भी प्रकरण में पैरवी हेतु कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय में न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उभयपक्षकारान की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। अथवा यह मुकदमा अब नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थी लक्ष्मणदास पिता भॅवरदास वैष्णव भी अपने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतित होता है कि पक्षकारान के मध्य कोई समझौता या राजीनामा हो गया हैं एवं वे अब इस प्रकरण को नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता हैं। वाद के खारीज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 स्वतः निरस्त हैं। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर हो। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) **सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)** **गिर्वा – उदयपुर**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.10 15:17:07
IST
Reason: SelfAttested